



2026:AHC: 74245

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 4576/2005

राम स्वरूप

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : कुलदीप जौहरी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आनंद मोहन पांडेय, शासकीय अधिवक्ता, राम
राज मिश्रा, वीरेंद्र कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

1. यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, जिला-बरेली द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 763 वर्ष 2003 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.10.2005 के विरुद्ध दाखिल की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 157 वर्ष 2001, थाना-क्योलड़िया, जिला-बरेली से उत्पन्न है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है।

2. अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री राम राज मिश्रा उपस्थित हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि 14.11.2001 को शाम लगभग 5.30 बजे, दिवाली के अवसर पर, परिवादी का पुत्र तेज बहादुर अपने घर के बाहर दीये जला रहा था, जबकि परिवादी पास में बैठा था। अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् राम स्वरूप, लालू, बालक राम और राम चंद्र, परिवादी के द्वार पर पहुंचे। राम स्वरूप आग्नेयास्त्र से लैस था। अभियुक्त व्यक्तियों ने परिवादी के पुत्र को घेर लिया और उस पर हमला किया, राम स्वरूप ने मृत्यु कारित करने के आशय से उसके पैर पर गोली चलाई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन, 15.11.2001 को दर्ज की गई और विवेचना शुरू की गई। चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और एक्स-रे भी किया गया, जिसके पश्चात एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विवेचना पूरी होने पर आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

5. अभियोजन पक्ष ने कुल 5 गवाहों का परीक्षण किया है। अभियोजन गवाह-1 परिवादी राम चंद्र, अभियोजन गवाह-2 घायल तेज बहादुर, अभियोजन गवाह-3 चश्मदीद गवाह धनीराम, अभियोजन गवाह-4 डॉ. विनय कुमार जायसवाल और अभियोजन गवाह-5 उप-निरीक्षक सूरज सिंह चौहान।

6. अभियोजन गवाह-1 सूचनाकर्ता राम चंद्र ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया और मंतव्य को पूर्व दुश्मनी बताया। अभियोजन गवाह-2 घायल गवाह तेज बहादुर और अभियोजन गवाह-3 धनीराम ने भी घटना का समर्थन किया और विशेष रूप से कहा कि अभियुक्त राम स्वरूप ने पीड़ित के पैर पर गोली चलाई। अभियोजन गवाह-4 डॉ. विनय कुमार जायसवाल ने घटने के नीचे आग्नेयास्त्र की चोट के अनुरूप प्रवेश और निकास घाव के संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट साबित की। एक्स-रे परीक्षण में किसी फ्रैक्चर का पता नहीं चला।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. बचाव पक्ष ने घटना से इनकार किया और यह सुझाव दिया कि चोटें पटाखों के कारण आई होंगी। हालांकि, विचारण न्यायालय ने इस तर्क को यह टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया कि प्रवेश और निकास घाव की प्रकृति वाली चोट रॉकेट या चरखी जैसे पटाखों के कारण नहीं आ सकती थी।

8. हालांकि, विचारण न्यायालय ने यह धारित किया कि चूंकि चोट शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर नहीं थी और डॉक्टर की ऐसी कोई राय नहीं है कि चोटें जीवन के लिए खतरनाक हैं, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध स्थापित नहीं होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है। फिर भी, इस बात पर विचार करते हुए कि चोट एक खतरनाक हथियार से पहुंचाई गई थी, अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया।

9. अपीलकर्ता राम स्वरूप के विद्वान अधिवक्ता ने तकनीकी आधार पर दोषसिद्धि पर प्रहार किया कि घटनास्थल से कोई छर्चे या कारतूस बरामद नहीं हुए, कथित हथियार को फॉरेंसिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया और घायल के कपड़े कब्जे में नहीं लिए गए।

10. राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय का समर्थन किया।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया। यह न्यायालय पाता है कि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा विधिवत संपुष्ट घायल गवाह की चश्मदीद गवाही अभियोजन के मामले को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है।

12. यह सुस्थापित है कि चश्मदीद साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य अधिक होता है और विवेचना में मामूली कमियां तथा कुछ बरामदगियों का न होना आवश्यक रूप से अभियोजन के मामले को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नष्ट नहीं करता है। जब चश्मदीद साक्ष्य अन्यथा विश्वसनीय पाया जाता है, तो विवेचना में मामूली विसंगतियों या तकनीकी कमियों के कारण इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि दोषपूर्ण विवेचना अपने आप में दोषमुक्ति का आधार नहीं है, जब अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध हो।

13. वर्तमान मामले में, डॉक्टर अभियोजन गवाह-4 डॉ. विनय कुमार जायसवाल द्वारा साबित प्रवेश और निकास घाव की उपस्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि चोट आग्नेयास्त्र के कारण लगी थी। पटाखों से चोट लगने के बचाव पक्ष के सिद्धांत को विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया है।

14. यह न्यायालय अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत दोषी ठहराने में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई अवैधता या विकृति नहीं पाता है। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि बरकरार रखे जाने योग्य है।

15. हालांकि, इस बात पर विचार करते हुए कि घटना वर्ष 2001 की है, अपीलकर्ता ने एक लंबी अवधि तक आपराधिक कार्यवाहियों की कठिन प्रक्रिया का सामना किया है और अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी आपराधिक पूर्ववृत्त को इंगित करता हो। अपीलकर्ता को फिर से जेल भेजने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय दंडादेश को संशोधित करना उचित समझता है।

16. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि आक्षेपित निर्णय पारित होने के बाद अपीलकर्ता 05.10.2005 से 24.10.2005 तक अर्थात् लगभग 20 दिनों तक जेल में था।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है कि अपीलकर्ता को पहले ही भुगती जा चुकी अवधि के कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता 4000/- रुपये का अर्थदंड अदा करेगा जिसे इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष जमा किया जाना होगा। अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, वह एक महीने की अवधि के लिए सादा कारावास भुगतेगा।

18. दंडादेश के संशोधन की सीमा तक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

19. अनुपालन के लिए इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

30 मार्च, 2026

पी. पांडेय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”